चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीमती नीलू मैनवाल द्वारा आज दिनाँक 21.07.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 171/21 धारा 302,498(ए), 468 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र रामकृपाल निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास 24000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है दिनाँक 05.05.2021 को वादी इन्द्रपाल पुत्र अच्छेलाल निवासी ग्राम तेहरी माफी थाना तिन्दवारी जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट में सूचना दिया गया कि अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त द्वारा उनकी पुत्री सावित्री देवी को दहेज की मांग पूरी न होने पर शारिरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर मारकर जला दिया एवं वादी के साथ भी गाली गलौच, मारपीट किया व गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस सूचना पर थाना थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 171/21 धारा 302,498(ए), 468 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी। दिनांक 13.09.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त संतोष यादव पुत्र स्व0 निन्ना यादव निवासी बगियापुरवा मजरा नयाचंद्रा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला

2.चालक मुख्य आरक्षी रमेशचन्द्र

3.आरक्षी हेमंत आर्य

(5). आज दिनाँक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा की उपस्थिति में SPGI लखनऊ में उपचार के दौरान निरीक्षक श्री परितोष दीक्षित की मृत्यु हो जाने पर शोक व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त कर्मियों ने 02 मिनट का मौन धारण किया गया।

इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,प्रभारी सोशल मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय,प्रभारी महिला सेल श्री जय प्रकाश उपाध्याय, प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला,प्रभारी आंकिक श्री अमृतलाल सरोज,पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहे।